प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–19.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **27 वाहनों से मु0– 8200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 20 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

01 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गुड़िया पत्नी विश्राम नि0 महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–191/19, 02. दशरथा पत्नी राजू नि0 अम्बरपुर बलुवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–192/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही–

जनपद के अन्तर्गत थाना उमरीबेगमगंज से अभियुक्त दीनानाथ पुत्र रामराज नि0 उमरीबेगमगंजपूरे केवटाही थाना उमरीबेगमगंज के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–102/19, धारा– 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 19.05.2019

अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राज कुमार पुत्र राम संवार नि0 मधुकरपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–190/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.05.2019 को उ0नि0 दधिबल यादव मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति परसापुर मोड़ के पास अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 दधिबल यादव मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गौवध निवारण अधिनियम में 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. जिसान पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी पिकौरा कसाईडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. युसुफ पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी पिकौरा कसाईडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. नासिर पुत्र अब्दुल कायूम निवासी पिकौरा कसाईडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–78/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

18/19.05.2019 की रात्रि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी सिकन्दर पुत्र बुझारत निवासी पिकौरा कसाईडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के बछडे को ले जाकर वध कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खोड़ारे पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को तत्काल कार्यवाही करते हुए भारत गैस एजेन्सी बभनजोत के पास स्थित बाग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।